



फा०संख्या:13-1/15(67)/14-15/ठीएस/ 1616 तो 1623  
F.No.13-1/15(67)/14-15/TS/

दिनांक/Dated 16 सितम्बर / Sept 2015

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़।

विषय: प्राचीन संस्मारक एवं पुरातत्त्वीय स्थल और अवशेष नियम 1959 के नियम 6 में कतिपय संशोधन के संबंध में

महोदय,

कृपया भारत का राजपत्र संख्या 486 दिनांक 31.07.2015 जिसके तहत अधिसूचना सा.क.नि 607(अ), जिसके अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा प्राचीन संस्मारक एवं पुरातत्त्वीय स्थल और अवशेष नियम 1959 के नियम 6 (प्रवेश शुल्क) पर संशोधन करने के लिए कतिपय प्रारूप नियमों को बनाने के प्रस्ताव पर आपत्ति या सुझाव भेजने हेतु कहा गया है, की एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आपके पास प्रेषित है।

02. अतः सादर निवेदन यह है कि इस पर व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु संगत कार्यवाही के लिए आपके अधीन संबंधित विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

03. इस संबंध में आपका सहयोग सादर प्रार्थनीय है।

भवदीय,

(डॉ. दिलीप कुमार खेमारी)  
अधीक्षण पुरातत्त्वविद्

संलग्न: यथोक्त

प्रतिलिपि – आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

01. मुख्य सचिव,  
मुख्यमंत्री सचिवालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।
  02. सचिव, संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।
  03. सचिव, पर्यटन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।
  04. तहसीलदार  
तहसील-महासमुंद, जिला-महासमुंद, छत्तीसगढ़।
  05. मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जिला पंचायत, जिला-महासमुंद, छत्तीसगढ़।
  06. प्रभारी  
भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण  
रायपुर उप मंडल, रायपुर, छत्तीसगढ़।
  07. मेसार्स नैवल प्राइवेट लिमिटेड  
541-602 डगनिया, सीएसईबी कार्यालय के पास,  
रायपुर, छत्तीसगढ़,
- कृपया संदर्भित राजपत्र की एक प्रति के साथ सूचनार्थ।
  - कृपया संदर्भित राजपत्र की एक प्रति के साथ सूचनार्थ।
  - कृपया संदर्भित राजपत्र की एक प्रति के साथ सूचनार्थ।
  - कृपया संदर्भित राजपत्र की एक प्रति के साथ सूचनार्थ। यह अनुरोध है कि इस पर व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
  - कृपया संदर्भित राजपत्र की एक प्रति के साथ सूचनार्थ। यह अनुरोध है कि इस पर व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
  - संदर्भित राजपत्र की 10 प्रतियां इस पत्र के साथ संलग्न हैं। यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रतिलिपियां, इस कार्यालय के अधीन केन्द्रीय संरक्षित टिकटेड स्मारक के प्रमुख स्थान पर चिपकाया जाये ताकि संबंधित संशोधन के संबंध में जनसाधारण को जानकारी हो सके। यह भी निर्देशित किया जाता है कि की गई कार्यवाही के संबंध में फोटो सहित आवश्यक रिपोर्ट इस कार्यालय को जल्द से जल्द भेजें।
  - उपरोक्त राजपत्र की एक प्रति संलग्न है एवं यह अनुरोध है कि उक्त रिपोर्ट हमारी वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें ताकि इस संबंध में जनसाधारण को सूचित किया जा सके।

16/09/15